छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक–**N-PRO-2023-00002**

– समक्ष –
श्री संजय शुक्ला, अध्यक्ष
श्री धनंजय देवांगन, सदस्य

श्री सीताराम दीक्षित, पिता–श्री बद्री प्रसाद दीक्षित,
निवासी–फ्लैट नं.–603, सी–ब्लॉक, अमलतास,
खारून ग्रीन्स कुम्हारी, जिला–दुर्ग (छ.ग.) ..... **आवेदक**

विरूद्ध

(1) कार्यपालन अभियंता,
(2) संपदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संभाग–दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) ..... **अनावेदकगण**

उपस्थिति :–

(1) श्री दिव्यांश तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अनावेदकगण।

(प्रोजेक्ट–''अटल विहार योजना'', परसदा, कुम्हारी, जिला–दुर्ग)
रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर– PCGRERA090818000671
आदेश
(दिनाँक–15/12/2023)

आवेदक श्री सीताराम दीक्षित, पिता–श्री बद्री प्रसाद दीक्षित, निवासी––फ्लैट नं.–603, सी–ब्लॉक, अमलतास, खारून ग्रीन्स कुम्हारी, जिला–दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–71 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप–एन (FORM-N) में अनावेदक के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में आवेदक ने उल्लेख किया है कि उसने अनावेदक के परसदा, कुम्हारी, जिला–दुर्ग में स्थित प्रोजेक्ट में अटल विहार योजनांतर्गत सीनियर एम. आई.जी–II में मकान क्रय करने हेतु दिनाँक 28.09.2012 को रूपये 2,70,000/– का भुगतान कर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनावेदक द्वारा उक्त मकान दिनाँक 06.05.2013 को आबंटन पत्र जारी किया गया। अनावेदक द्वारा दिनाँक 27.12.2013 को रूपये 18,73,400/– का भुगतान कर दिया गया है। अनावेदक पत्र दिनाँक 27.12.2013 के अनुसार मकान का आधिपत्य तीन वर्ष के भीतर दिया

जाना था। इसलिये आवेदक दिनाँक 30.04.2016 तक मकान का आधिपत्य प्राप्त कर लेगा। उक्त संदर्भ में अनावेदक पत्र दिनाँक 27.12.2013 पुनः प्रस्तुत किया गया। अनुबंध 2012 के बिन्दु क्रमांक–13 में यह उल्लेखित है कि मण्डल द्वारा योजना आबंटन जारी होने के 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण की जावेगी। अंतिम भुगतान होने के पश्चात् तीन वर्ष के विलंब सहित भुगतान में प्रमुख त्रुटि के साथ रूपये 8,53,312/– अनावेदक को जारी किया । आवेदक ने दिनाँक 30.05.2019 को रूपये 5,00,000/– तथा दिनाँक 20.08.2019 को रूपये 3,53,312/– भुगतान किया, जिससे मकान का रजिस्ट्री तथा आधिपत्य शीघ्रता से किया जा सके। इसलिये आवेदक ने अनावेदक के मांग अनुसार रूपये 27,26,712/– का भुगतान कर दिया है।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 30.03.2019 में अनावेदक की प्रमुख त्रुटि है :–

1. अनावेदक ने विकसित भूखण्ड का अतिरिक्त प्रभार रूपये 6,39,587/– दिया है, जो अनावेदक के वर्ष 2012 के भुगतान अनुसूची विज्ञापन तथा दिनाँक 27.12.2013 के किश्त पत्र में उल्लेखित नहीं है, इससे मकान का लागत 34 प्रतिशत बढ गया है।
2. अनावेदक अपने अंतिम भुगतान आदेश दिनाँक 09.12.2015 में आवेदक से अर्जित रूपये 18,73,4500/– की ब्याज राशि को विचार में लेने तथा समायोजित करने में असफल रहा है, जो रेरा अधिनियम की धारा–18 का उल्लंघन है।
3. अनावेदक विज्ञापन भुगतान अनुसूची युक्ति के तहत् आवेदक से अर्जित रूपये 73,400/– सेवा कर राशि अतिरिक्त रूप से बचत किया है।

मकान का रजिस्ट्री दिनाँक 21.10.2019 को पूर्ण किया गया। आवेदक से प्रश्नाधीन मकान का निरीक्षण किया गया तथा बाउंड्रीवाल, जल संरक्षण प्रणाली कोनिर्मित करने एवं मकान की अन्य कमियों जैसे–स्लैब तथा छत इत्यादि से पानी रिसाव को दूर करने की शिकायत पत्र दिनाँक 05.11.2019 को दिया गया है। अनावेदक द्वारा पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया।

अनावेदक द्वारा दिनाँक 04.02.2021 को निर्माण कार्य में त्रुटियों एवं कमियों को स्वीकार किया गया है। उसने आवेदक के पत्र दिनाँक 26.08.2020 के अनुसर कार्य को समाप्त करने के लिये ठेकेदार को अनुदेशित किया गया। आवेदक द्वारा प्राधिकरण आदेश दिनाँक 11.08.2020 के विरूद्ध भू–संपदा अपीलीय अधिकरण, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकरण द्वारा बाउंड्रीवाल तथा ब्रोशर से संबंधित प्रकरा को सुने बिना दिनाँक 16.06.2023 को

आदेश पारित कर दिया गया। आवेदक ने प्राधिकरण आदेश दिनाँक 30.05.2020 का कार्यान्यन करने का अनुरोध करते हुये अनावेदक को दिनाँक 26.06.2021 तथा दिनाँक 12.11.2021 को पत्र प्रेषित किया गया तथा मकान का आधिपत्य प्रदान करने के लिये निवेदन किया गया। विद्युत खंभे आधारिक समर्थन लगान के लिये अनावेदक ने दिनाँक 25.03.2022 को सी.एस.पी.डी.सी.एल. को शुल्क के रूप में रूपये 8,187/– रूपये दिया गया। विद्युत पोल आधारिक समर्थन प्राधिकरण आदेश दिनाँक 30.05.2020 से दो वर्ष बीतने के पश्चात् लगाया गया।

अनावेदक ब्रोशर, फ्लोर प्लॉन, एलिवेशन ड्राईंग, वेबसाईट अपलोड ड्राईंग तथा संलग्न रजिस्ट्री कागजातों के विधिक दस्तावेजों के अनुसार गृह मकान का बाउंड्रीवाल बनाने में असफल रहा है, जो रेरा अधिरिनयम, 2016 की धारा–12 एवं धारा–14 की उपधारा–1 एवं 2 का उल्लंघन है। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में भू–संपदा अपीलीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक–67/2020 दिनाँक 17.03.2020 में उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं को विचार में लिया गया तथा बाउंड्रीवाल के लिये आबंटिती श्री दुर्गाशंकर साहू को रूपये 1,82,000/– की क्षतिपूर्ति देने के लिये अनावेदक को आदेश जारी किया गया। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अनावेदक का प्रकरण तथा श्री दुर्गाशंकर साहू का प्रकरण एक तरह है। छ.ग. शासन द्वारा मध्यम वर्ग परिवारों को सुव्यवस्थित कॉलोनी में रहने तथा मकान क्रय करने को सक्षम बनोन के उद्देश्य से अटल विहार योजना हेतु छ.ग. गृह निर्माण मण्डल को रूपये 1 प्रति वर्गफीट की दर से भूमि प्रदान किया गया है। अनावेदक द्वारा घर की कीमत रूपये 18,73,400/– से बढ़ाकर रूपये 27,26,712/– कर दिया गया है, जिसका भुगतान अनावेदक द्वारा दिनाँक 20.08.2019 को प्राप्त किया गया। मकान का आधिपत्य प्रदान करने में 6 वर्ष एवं 2 माह का विलंब किया गया है और यह अंतिम रूप से दिनाँक 31.05.2022 को प्रदान किया गया, परन्तु यह अभी भी अपूर्ण अवस्था में है। आवेदक ने दिनाँक 08.12.2015 को रूपये 18,73,400/– ऋण प्राप्त किया गया तथा 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर से दिनाँक 20.05.2019 को रूपये 8,53,400/– का अतिरिक्त ऋण प्राप्त किया गया। मकान का आधिपत्य के समय तक मकान की कुल कीमत लगभग रूपये 42.50 लाख रूपये हो गयी। जबकि सीनियर एम.आई.जी टाईप–1 के मकान की अनावेदक की टेण्डर कीमत केवल रूपये 11.65 लाख रूपये है। अनावेदक ने एम.आई.जी बिल्डिंग के लिये बाउंड्रीवाल की अनुमानित लागत रूपये 1,86,000/– तथा जुनियर एम. आई.जी बिल्डिंग के लिये बाउंड्रीवाल की अनुमानित लागत रूपये 1,47,000/– शामिल किया गया है, जो आर.टी.आई दस्तावेज में उल्लेखित विक्रय कीमत है। अनावेदक द्वारा अटल विहार के विशिष्टियों संगवारी एफ.ए.क्यू दस्तावेज में अपलोडेड वेबसाईट में यथावर्णित ब्रोशर तथा नगर एवं निवेश योजना दस्तावेजों के तहत् जल संरक्षण प्रणाली का निर्माण नहीं किया गया है। यह रेरा अधिनियम,

2016 की धारा–12 का उल्लंधन है। अतः आवेदक द्वारा रेरा नियम, 2017 के उप नियम–17 के अनुसार दिनाँक 31.05.2022 से भुगतान प्राप्ति दिनाँक तक बाउंड्रीवाल निर्माण प्रभार रूपये 22,40,000/– ब्याज सहित दिलाये जाने तथा रेरा नियम, 2017 के उप नियम–17 अनुसार जल संचयन शुल्क रूपये 40,000/–भुगतान प्राप्त दिनाँक से ब्याज सहित दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक की भूमि से 1.2 मीटर की दूरी पर बिजली के तार 11 केवी लाईन को स्थानांतरित करने का आदेश जारी करने, वाद व्यय दिलाये जाने तथा अन्य राहत प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई–मेल के द्वारा भी नोटिस एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये।

3. अनावेदकगण द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुये लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–31 के तहत् शिकायत प्रस्तुत गई थी, जिसे प्रकरण क्रमांक–**M-PRO-2019-00943** के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 30.05.2020 को अंतिम आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश को वर्तमान आवेदक द्वारा छ.ग. भू–संपदा अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील क्रमांक–29/2022 में चुनौती दी गई थी, जिसमें अंतिम आदेश दिनाँक 16.06.2023 को पारित किया गया था। वर्तमान आवेदक द्वारा बाउंड्रीवाल जारी करने और मुआवजा देने की प्रार्थना की गई थी, लेकिन प्राधिकरण द्वारा बाउंड्रीवाल मुआवजे के संबधं में कोई राहत नहीं दी गई। आवेदक द्वारा प्राधिकरण के उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई, लेकिन अपीलीय अधिकरण ने भी बाउंड्रीवाल के संबंध में कोइ राहत नहीं दी है। यदि आवेदक इससे व्यथित है अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश आवेदक को उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देनी होगी। आवेदक उसी राहत के लिये न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष दोबारा प्रार्थना नहीं कर सकता है, जिसे प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण द्वारा पूर्व ही खारिज किया जा चुका है। 3 महत्वपूर्ण कानूनी पहलू जो स्थापित कानून के अनुसार उत्पन्न होते हैं, वह इस प्रकार है :–

1. जिस राहत के लिये प्रार्थना की गई थी, लेकिन वह नहीं दी गई, उसे खारिज कर दिया गया माना जाता है। कानून का यह बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जिस राहत के लिये याचिकाकर्ता से प्रार्थना की है। लेकिन न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है, उसे खारिज कर दिया गया माना जाता है। वर्तमान मामले में, आवेदक ने बाउंड्रीवाल से संबंधित राहत के लिये प्रार्थना की थी, लेकिन उस पर कोई राहत

नहीं दी गई है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि इसे प्राधिकरण और माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है। यदि राहत खारिज कर दी गई है और यदि आवेदक व्यथित है, तो आवेदक को छत्तीसगढ़ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता अपीलीय अधिकरण के आदेश को चुनौती देनी चाहिये। इसलिये आवेदक का वर्तमान आवेदन पोषणीय नहीं है।

2. निष्पादन न्यायालय डिक्री की शर्तों से परे नहीं जा सकता :– भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों अनुसार यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश या डिक्री को निष्पादित करने के लिये बाध्य है और निष्पादन न्यायालय करता है, की शर्तों से परे जाने का आधिकार नहीं है। हुक्मनामा, वर्तमान मामले में आदेश प्राधिकरण और माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित किया गया था और न्याय निर्णायक अधिकारी केवल न्याय निर्णायक न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। इसलिये न्याय निर्णायक अधिकारी प्राधिकरण और माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों से आगे नहीं जा सकते। इसलिये आवेदक का वर्तमान आवेदन पोषणीय नहीं है।

3. न्यायिक निर्णय :– सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 की धारा–9, 10 और 11 स्पष्ट रूप से एक ही पक्ष के बीच, एक ही विषय वस्तु के लिये और उस विषय वस्तु के लिये, जिसका निर्णय पूर्व ही किया जा चुका है, बाद में मुकदमा दायर करने पर रोक लगाती है। वर्तमान आवेदन में वर्तमान आवेदक द्वारा जिस राहत की प्रार्थना की गई है, उसका निर्णय उन्हीं पक्षों के बीच और उसी विषय वस्तु के लिये पूर्व ही किया जा चुका है। इसलिये आवेदक का वर्तमान आवेदन पोषणीय नहीं है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान आवेदक द्वारा अनावेदक छ.ग. हाउसिंग बोर्ड से प्रश्नगत संपत्ति का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है और उसके पश्चात् बार–बार होने वाले मामले अनावेदक हाउसिंग बोर्ड के लिये उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं है। यदि माननीय प्राधिकारी निर्देश देते हैं, तो परियोजना के प्रभारी अभियंता प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे और संबंधित घर की वर्तमान भौतिक स्थिति के बारे में बताएंगे और साथ ही माननीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लिये आवेदक को प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में भी बताएंगे। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. प्रकरण में दिनाँक 04.10.2023 को अनावेदक द्वारा प्रांरम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई। दिनाँक 20.11.2020 को प्रकरण प्रांरम्भिक आपत्ति पर तर्क हेतु नियत किया गया। सुनवाई तिथि दिनाँक 04.12.2023 को अनावेदक पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक का तर्क सुना गया।

अनावेदक की प्रारंभिक आपत्ति है कि अधिनियम की धारा–31 के अधीन आवेदक द्वारा प्राधिकरण में शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिस पर M-PRO-2019-00943 प्रकरण दर्ज करते हुए आदेश दिनाँक 30.02.2020 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय, छ.ग. भू–संपदा अपीलीय अधिकरण एतद् पश्चात् अधिकरण के समक्ष अपील क्रमांक–29/2022 प्रस्तुत की गई। जिसमें दिनाँक 16.06.2023 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा मूल प्रकरण में बाउंड्रीवॉल और क्षतिपूर्ति के लिये शिकायत की गई थी। किंतु उक्त बिंदु पर प्राधिकरण द्वारा कोई राहत आवेदक को प्रदान नहीं की गई, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में अधिकरण द्वारा बाउंड्रीवॉल के संबंध में आवेदक को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया, यदि आवेदक माननीय अधिकरण के आदेश से व्यथित है, तो उन्हें माननीय अधिकरण के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. में चुनौती दिया जाना चाहिए। किंतु आवेदक प्राधिकरण के न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष राहत के लिये कोई प्रार्थना नहीं कर सकता है, क्योंकि आवेदक के आवेदक को प्राधिकरण एवं माननीय अधिकरण के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है, कि आवेदक द्वारा कोई अनुतोष माँगा जाता है, उक्त अनुतोष प्रदान नहीं करने का अर्थ यह है, कि अनुतोष को निरस्त कर दिया गया है। आवेदक द्वारा प्राधिकरण के समक्ष बाउड्रीवॉल का अनुतोष उक्त प्रकरण पर मॉगा गया था। जिस पर अनुतोष प्रदान नहीं किया गया, अतः आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध आवेदक की अपील भी माननीय अधिकरण द्वारा भी निरस्त की जा चुकी है, अस्तु आवेदक का आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। क्रियान्वयन न्यायालय मूल न्यायालय पारित किये गये डिक्री से हटकर कोई क्रियान्वयन आदेश नहीं दे सकता है यह विधि का स्थापित सिद्धांत है। प्राधिकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा 09, 10 एवं 11 के अंतर्गत पूर्व निर्णय के सिद्धांत से भी आबद्ध है। पूर्व में आवेदक के बाउंड्रवॉल के आवेदन पर कोई अनुतोष प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया गया है। जिसके विरूद्ध आवेदक की अपील माननीय अधिकरण द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अतः प्राधिकरण पूर्व निर्णय सिद्धांत के आधार पर आवेदक के आवेदन को निरस्त करने हेतु बाध्य है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भवन का आधिपत्य भी लिया जा चुका है। आवेदक द्वारा अनावेदक को परेशान करने की उद्देश्य से यह आवेदन प्रारूप–एम में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक का तर्क है कि उनके द्वारा प्राधिकरण के समक्ष अनावेदक की शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें बाउंड्रीवॉल की माँग की गई थी। किंतु प्राधिकरण द्वारा बाउंड्रीवॉल के संबंध में आवेदक को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया, आवेदक द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर माननीय अधिकरण द्वारा अपील को आंशिक रूप

से स्वीकृत किया गया, बाउंड्रीवॉल के संदर्भ में अपीलीय आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, प्राधिकरण द्वारा सुपर विजन चार्ज 1,27,676/– रूपये अनावेदक द्वारा आवेदक को प्रदान किया जा चुका है। माननीय अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के परिपालन में अनावेदक द्वारा ब्याज की राशि भी प्रदान की जा चुकी है। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के परिपालन में मकान की पोताई किया जाकर आधिपत्य प्राप्त किया जा चुका है। विद्युत पोल के तारों के फाउंडेशन को अन्यत्र व्यस्थापित किया जा चुका है। आवेदक द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मात्र बाउंड्रीवॉल को छोड़ अनावेदक की शेष शिकायत का निराकरण हो चुका है, बाउंड्रीवॉल का निर्माण करवाया जाए।

5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं अनावेदक की आपत्ति का परिशीलन किया गया।

अधिनियम की धारा–31 के अधीन आवेदक द्वारा प्राधिकरण में शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिस पर M-PRO-2019-00943 प्रकरण दर्ज करते हुए आदेश दिनाँक 30.02.2020 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय छ.ग. भू–संपदा अपीलीय अधिकरण एतद् पश्चात् अधिकरण के समक्ष अपील क्रमांक–29/2022 प्रस्तुत की गई। जिसमें दिनाँक 16.06.2023 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा मूल प्रकरण में बाउंड्रीवॉल और क्षतिपूर्ति के लिये शिकायत की गई थी। किंतु उक्त बिंदु पर प्राधिकरण द्वारा कोई राहत आवेदक को प्रदान नहीं की गई जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में अधिकरण द्वारा बाउंड्रीवॉल के संबंध में आवेदक को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया। जिसके लिये आवेदक प्राधिकरण के न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष राहत के लिये कोई प्रार्थना नहीं कर सकता है, क्योंकि आवेदक के आवेदक को प्राधिकरण एवं माननीय अधिकरण के द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

यह विधि का स्थापित सिद्धांत है, कि आवेदक द्वारा कोई अनुतोष माँगा जाता है, उक्त अनुतोष प्रदान नहीं करने का अर्थ यह है कि अनुतोष को निरस्त कर दिया गया है। आवेदक द्वारा प्राधिकरण के समक्ष बाउड्रीवॉल का अनुतोष उक्त प्रकरण पर माँगा गया था, जिस पर अनुतोष प्रदान नहीं किया गया था। अतः आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध आवेदक की अपील भी माननीय अधिकरण द्वारा भी निरस्त की जा चुकी है। अस्तु प्राधिकरण का अभिमत है, कि आवेदक का आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है।

यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि क्रियान्वयन न्यायालय मूल न्यायालय द्वारा पारित किये गये डिक्री से हटकर कोई क्रियान्वयन आदेश नहीं दे सकता है। अनावेदक की यह आपत्ति ग्राहय योग्य है।

चूँकि प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक–M-PRO-2019-00943 में पूर्व में आदेश पारित किया जा चुका है जिसमें पक्षकार एवं विषय वस्तु समान है, पूर्व में आवेदक के बाउंड्रीवॉल के आवेदन पर कोई अनुतोष प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया गया है। जिसके विरूद्ध आवेदक की अपील माननीय अधिकरण द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अतः प्राधिकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के अंतर्गत पूर्व निर्णय के सिद्धांत से भी आबद्ध है। अतः प्राधिकरण का अभिमत है, कि पूर्व निर्णय में बाउंड्रीवॉल के संबंध में कोई अनुतोष नहीं दिया गया है, अतः क्रियान्वयन प्रकरण में इस संबंध में कोई आवेदन ग्राहय नहीं किया जा सकता है।

6. उक्त विवेचना के प्रकाश में समग्र विचारण पश्चात् प्राधिकरण आवेदक का आवेदन निरस्त करता है।

सही/–
(धनंजय देवांगन)
सदस्य

सही/–
(संजय शुक्ला)
अध्यक्ष